रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05112026-277713
CG-DL-E-05112026-277713

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5825] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 2026/कार्तिक 14, 1948
No. 5825] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 5, 2026/KARTIKA 14, 1948

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2026

का.आ. 6057(अ).— राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 3 और 7 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (ग) के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, निम्नलिखित सदस्यों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए नामनिर्दिष्ट करती है और उस प्रयोजन के लिए, भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग की, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ 582 (अ) तारीख 13 अगस्त, 1997 द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 7 और 8 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां रखी जाएंगी:-

"7. माननीय न्यायमूर्ति सुमन श्याम,

न्यायाधीश, बॉम्बे उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष,

गोवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण -सदस्य

8. माननीय डॉ. न्यायमूर्ति अनीता सुमंथ,

न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष,

पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र विधिक सेवा प्राधिकरण -सदस्य"।

[फा. सं. ए 60011/4/2015-एलएपी(न्या.)/3]

सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्याक का.आ 582(अ), तारीख 13 अगस्त, 1997 के अधीन प्रकाशित की गई थी और संख्याक का.आ 2595(अ), तारीख 21 मई, 2026 के अधीन अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Department Of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2026

S.O. 6057(E).— In pursuance of sub-section (1) and clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), read with rules 3 and 7 of the National Legal Services Authority Rules, 1995, the Central Government, in consultation with the Chief Justice of India, nominates the following Members to the National Legal Services Authority and for that purpose hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 582 (E), dated the 13th August, 1997, namely:—

In the said notification, for serial numbers 7 and 8, and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be substituted, namely:—

"7. Hon'ble Mr. Justice Suman Shyam
Judge, Bombay High Court
and Executive Chairman,
Goa State Legal Services Authority —Member

8. Hon'ble Dr. Justice Anita Sumanth
Judge, Madras High Court
and Executive Chairperson,
U.T. of Puducherry Legal Services Authority —Member".

[F. No. A-60011/4/2015-LAP (JUS)/3]

SURESH KUMAR, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 582(E), dated the 13th August, 1997 and last amended, *vide* number S.O. 2595(E), dated the 21st May, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.